राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई की सत्यापना के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1995

1	पैरा संख्या 4(2)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा संख्या 4(6)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा संख्या 4(6)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा संख्या 4(6)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा संख्या 4(6)(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा संख्या 4(6)(ङ.)	अनिर्णीत
7	पैरा संख्या 4(13)(क)	अनिर्णीत
8	पैरा संख्या 4(13)(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा संख्या 13	निर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1999

1	पैरा संख्या 4(1)(ख से ङ.)	निर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010

1	पैरा संख्या 7(i)	अनिर्णीत
2	पैरा संख्या 7(iii)	अनिर्णीत
3	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
4	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
5	पैरा संख्या 10(क)	अनिर्णीत
6	पैरा संख्या 10(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
2	पैरा संख्या 6(1)	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
3	पैरा संख्या 6(2)	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
4	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत
5	पैरा संख्या 8(क)(1से3)	अनिर्णीत
6	पैरा संख्या 8(ख)	अनिर्णीत

7	पैरा संख्या 9	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
9	पैरा संख्या 11	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
10	पैरा संख्या 12(क से ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा संख्या 13(क)	अनिर्णीत	
12	पैरा संख्या 14	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
13	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	
14	पैरा संख्या 16(i)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा संख्या 17(i)(ii)	अनिर्णीत	
16	पैरा संख्या 18(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा संख्या 19(क)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
18	पैरा संख्या 19(ख)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
19	पैरा संख्या 20(i)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
20	पैरा संख्या 20(ii)	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शाहपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 1.4.2016 से 12.4.2016 के दौरान संस्था के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 7/13, 8/14 व 7/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 8/13, 10/14 व 10/15 को चयनित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने संस्था में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

प्रधानाचार्य का नाम	**अवधि**
श्री संजीव कुमार लखनपाल	9.2.2010 से लगातार

इस अंकेक्षण को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शाहपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष

में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 50, दिनांक 12.4.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा इन राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 713275,दिनांक 16.4.2016 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शाहपुर द्वारा प्रस्तुत संस्थान के छात्र कल्याण निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही।

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्तशेष
2013–14	4070093	5055740	101237	9227070	5108881	4118189
2014–15	4118189	3999175	490306	8607670	4875754	3731916
2015–16	3731916	6126219	880387	10738522	4315367	6423155

अन्तशेष का विवरण

(i)	दिनांक 31.3.2016 को हि0प्र0 को स्टेट बैंक हटली के बचत खाता सं0 18510100664 में जमा राशि	711054
(ii)	दिनांक 31.3.2016 को सावधि में निवेशित राशि	5712101
	कुल जोड़	**6423155**

(ख) संस्थान की ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमैंट निधि की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्तशेष
2013–14	315087	73850	7933	396870	155688	241182
2014–15	241182	115850	17376	374408	50804	323604
2015–16	323604	–	22928	346532	61187	285345

उपरोक्त अन्तशेष की राशि दिनांक 31.3.2016 को पंजाब नैशनल बैंक शाहपुर के खाता संख्याः 0894000101331378 में जमा है।

5 निवेश

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि लेखों से दिनांक 31.3.2016 तक निवेशित ₹5712101 का विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर सलग्न है।

6 सावधि जमा पर बैंक द्वारा ₹0.50 लाख का कम ब्याज क्रेडिट करने बारे

निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि पी0एन0बी0 शाहपुर द्वारा सावधि जमा पर ₹50157 का कम ब्याज दिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

दिनांक	राशि	एफ0डी0आर0 नं0	दर	अवधि	परिपक्वता पर अपेक्षित ब्याज	बैंक द्वारा दिया गया ब्याज	कम ब्याज
26.2.16	68000	089400DP00027189	7.5%	1 वर्ष	6148	5882	1266
26.2.16	842000	089400DP00027828	7.5%	1 वर्ष	76128	60471	15657
26.2.16	811000	089400DP00027837	7.5%	1 वर्ष	73325	58244	15081
26.2.16	643000	089400DP00027864	7.5%	1 वर्ष	58136	46181	11955
26.2.16	9000	089400DP00027846	7.5%	1 वर्ष	864	646	168
26.2.16	35000	089400DP00027855	7.5%	1 वर्ष	3164	2513	651
26.2.16	138000	089400DP00027873	7.5%	1 वर्ष	12477	9911	2566
26.2.16	75000	089400DP00027882	7.5%	1 वर्ष	6781	5386	1395
26.2.13	436000	089400DP00027837	7%	1 वर्ष	7085	5667	1418
						कुल जोड़	**50157**

बैंक द्वारा दिए गए उपरोक्त कम ब्याज पर संस्था द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय लाया जाता है कि उपरोक्त ब्याज की राशि की वसूली सम्बन्धित बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

7 सावधि जमा राशि को को–ऑप्रेटिव बैंक के स्थान पर पंजाब नैशनल बैंक में जमा करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से ₹5712101 पंजाब नैशनल बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेशित की गई है, जबकि विशेष सचिव (वित्त) के पत्र संख्या : फिन–आई0एफ0(ए0)1–68/83–II, दिनांक 27.12.2014 के अनुसार सरप्लस निधि को को–ऑप्रेटिव बैंक में ही जमा करना अपेक्षित था, परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा उक्त राशि केवल पंजाब नैशनल बैंक में जमा की गई है, जिसके स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए जानबूझ कर सावधि जमा को को–ऑप्रेटिव बैंक के स्थान पर पंजाब नैशनल बैंक में रखा जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में सावधि जमा राशि को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार को–ऑप्रेटिव बैंक में जमा करवाया जाए।

8 ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि की आय को छात्र कल्याण निधि से हस्तांतरित न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि में वर्ष 2015–16 में ₹40925 की आय प्राप्त हुई, जिसे छात्र कल्याण निधि में ही जमा रखा गया। अतः उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि के खाते से हस्तांतरित करके ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि के खाते में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

9 जुर्माना निधि की ₹100 की कम वसूली करने बारे

अंकेक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार जुर्माने की ₹100 कम वसूली गई। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

ट्रैड का नाम	मह	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद नं0/ दिनांक	कम वसूली
मसिनिस्ट	8/14	420	410	18035, 11.9.14	10
–यथोपरि–	7/15	1340	1330	19308, 13.8.15	10
एम0एम0वी0	7/15	2250	2235	19309, 13.8.15	15
फैशन डिजाइनर	8/14	350	345	18033, 11.9.14	5
फैशन टेक्नोलॉजी	7/15	1445	1435	19329, 19.8.15	10
सुइंग टेक्नोलॉजी	7/15	940	890	19301, 13.8.15	50
				कुल कम वसूली	**100**

10 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जांच के दौरान छात्रों से फीस की वसूली हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

11 अनियमित रूप से ₹5 लाख का भुगतान करने बारे

वाउचर संख्या : 23, दिनांक 29.7.2015 की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) को ₹5 लाख का भुगतान चैक नं0: 558825, दिनांक 29.7.2015 द्वारा किया गया। निदेशक तकनीकी शिक्षा के स्वीकृति पत्र संख्याः एस0टी0वी0(आई0टी0) सी0ओ0ई0–बिल्डिंग–शाहपुर/2011/3730, दिनांक 30.5.2014 के अनुसार उक्त राशि का संस्थान की IMC निधि से भुगतान किया जाना था, परन्तु संस्थान द्वारा इसका भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया, जोकि अनुचित था। अतः छात्र कल्याण निधि से उक्त भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को IMC निधि से वसूल करके छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए व की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली बिलों के रूप में भुगतान की गई ₹1.74 लाख की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा है तथा दिनांक 31.3.2016 तक **परिशिष्ट–"ख"** के अनुसार ₹174240 की प्रतिपूर्ति की जानी शेष है, जिनकी प्रतिपूर्ति राजकीय मुख्य शीर्षः 2230–03–003–05– सून–नॉन–प्लान SOE 20 से की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उक्त शीर्ष से शीघ्र करके अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

13 मानदेय के रूप में भुगतान की गई ₹38.62 लाख की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से न करने बारे

निदेशक तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या : STV(TE)HC(1)2010–4402–21, दिनांक 4.2.2011 के अनुसार ट्रेनर व अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति राजकीय मुख्या शीर्ष : 2230–03–003–05–सून–नॉन–प्लान SPE "HONONARIUM 99" से की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण द्वारा जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक मानदेय के रूप में भुगतान की ₹3862467 की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से की जानी शेष है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर दिया गया है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शीर्ष से शीघ्र करके अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

14 प्रतिभूति/जमानत राशियों को जब्त न करने बारे

प्रतिभूति/जमानत राशि के रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार छात्रों द्वारा संस्थान छोड़ने के एक वर्ष तक भी अपनी प्रतिभूति/जमानत राशियों को प्राप्त नहीं किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में "हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विवरण पुस्तिका" के नियम संख्याः 4.1 के नोट (क) के अनुरूप कार्रवाई करके इन राशियों को जब्त करने के उपरान्त छात्र कल्याण निधि के अन्तर्गत हस्तांतरित/जमा करवाया जाए तथा की गई कार्रवाई से आगामी ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	छात्र का नाम	ट्रेड का नाम	सत्र	राशि
1	रचना देवी	सरवेयर	2011–13	500
2	प्रदीप कुमार	सरवेयर	2011–13	500
3	आशीष कुमार	सरवेयर	2011–13	500
4	कुलबीर सिंह	सरवेयर	2011–13	500
5	सादिक अली	सरवेयर	2011–13	500
6	संजय	फिटर	2011–13	500
7	सुमित कुमार	फिटर	2011–13	500

8	नरेन्द्र सिंह	ड्राईवर कम मकेनिक	2/13 से 7/13	500
9	राकेश कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	2/13 से 7/13	500
10	विजय कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	2/13 से 7/13	500
11	नरेश कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
12	राकेश कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
13	संजीव कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
14	संजीव कुमार 2	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
15	विनय कौशल	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
16	अंकुश कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
17	दलजीत कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
18	अर्जुन कुमार	ड्राईवर कम मकेनिक	8/13 से 2/14	500
19	राहुल	मोटर मकेनिक व्हीकल	2012—14	500
20	अनिल राणा	मशीनिस्ट	2012—14	500
21	सुभम	मशीनिस्ट	2012—14	500
22	मुनीश सहोत्रा	पम्प ओपरेटर	2013—14	500
23	मोहम्मद साहिद	कोपा	2013—14	500
24	साहिल कुमार	कोपा	2013—14	500
25	सनी कुमार	कोपा	2013—14	500
26	निधि शर्मा	फैशन टेक्नोलॉजी	2013—14	500
27	रक्षा देवी	फैशन टेक्नोलॉजी	2013—14	500
28	शीतल देवी	फैशन टेक्नोलॉजी	2013—14	500
29	सुजाता देवी	फैशन टेक्नोलॉजी	2013—14	500
30	मीना	स्टेनो हिन्दी	2013—14	500
31	मुकेश	ट्रेक्टर मकेनिक	2013—14	500
32	मुल्तान	ट्रेक्टर मकेनिक	2013—14	500
33	विनोद कुमार	ट्रेक्टर मकेनिक	2013—14	500
34	श्याम कुमार	ट्रेक्टर मकेनिक	2013—14	500
			कुल जोड़	**₹17000**

15 ऋण के रूप में बकाया ₹11.50 लाख की वसूली न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि वर्ष 2011—12 में निदेशक तकनीकी शिक्षा की स्वीकृति से COE भवन के निर्माण हेतु छात्र कल्याण निधि से ₹2500000 ऋण के रूप में जारी की गई थी, जिसमें से ₹1349707 IMC निधि से दिनांक 4.6.2015 को वसूल कर ली गई है, परन्तु शेष ₹1150293 का वसूला जाना अपेक्षित है, जबकि ऋण को जारी किए गए 4 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि बकाया राशि को वसूलने हेतु संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः उक्त बकाया राशि को शीघ्र अति शीघ्र वसूला जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

16 अनियमित रूप से ₹36.00 लाख का व्यय करने बारे

जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से निम्नलिखित विवरणानुसार ₹36350 का भुगतान किया गया, जोकि अधिसूचना संख्या : EDN(TE)-A(3) 2/2014, दिनांक 8.7.2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय के सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹36350 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

बिल सं0/माह	निधि का नाम	फर्म का नाम	राशि	विवरण
9, 12/15	छात्र कल्याण निधि	मै0 संजय कुमार थुलेल	2000	1 ट्राली खाद
शून्य, 3/14	ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमेंट निधि	मै0 जर्मिह स्टील कांगड़ा	32130	12 pvc चेयर
शून्य, 12/14	–यथोपरि–	मै0 वी0के0 फ्लावर नर्सरी गगल	2220	फूलों की टोकरी
		कुल जोड़	**₹36350**	

17 कार्य का नाम : C/o Boundry wall to principal /residence

एजेन्सी का नाम : M/s Vineet Rana

माप पुस्तिका : 181

वाउचर संख्या : शून्य, माह 12/13

उपरोक्त निर्माण कार्य को दिनांक 14.6.2013 को उक्त ठेकेदार को अवार्ड किया गया था व उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि 2 महीने बाद यानि 24.8.15 (10 दिन जोड़ कर) तय की गई थी व अवार्ड लेटर संख्या : 3464–66, दिनांक 14.6.2013 में स्पष्ट किया था कि "No extention shall be granted", परन्तु माप पुस्तिका के अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य देरी से अर्थात दिनांक 30.10.2013 को समाप्त किया गया। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार अगर कार्य देरी से समाप्त किया जाता है, तो कुल मूल्य (₹139740) के 10% की राशि यानि ₹13974 की दण्ड शुल्क के रूप में वसूली करनी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई तथा संविदाकार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया। अतः दण्ड शुल्क की ₹13974 को वसूल कर छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

18 कार्य का नाम : **C/o surface drain near mechanical work shop**

एजेन्सी का नाम : **M/s Aman Jambal**

माप पुस्तिका : **185**

वाउचर संख्या : **13, माह 1/16**

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य ₹49000 में उक्त ठेकेदार को आवंटित किया गया था तथा ठेकेदार को ₹70600 का भुगतान किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्थान द्वारा ₹21600 का अधिक कार्य करवाया गया है। इस प्रकार इस कार्य में 30.85% की डेविएशन पाई गई, जिसकी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त इस नियमित करवाया व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त कार्य का प्राक्कलन (Estimate) अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में कार्य की अनुमानित राशि व मात्रा की सत्यता की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः प्राक्कलन को ऑडिट में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्य को दिनांक 21.9.2015 को ठेकेदार को अवार्ड किया गया था व उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि 2 महीने बाद यानि 31.10.2015 (10 दिन जोड़ कर) तय की गई थी, परन्तु माप पुस्तिका के अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य दिनांक 8.12.2015 को समाप्त किया गया। अनुबन्ध की शर्त अनुसार अगर कार्य देरी से समाप्त किया जाता है तो कुल मूल्य में 10% की राशि यानि ₹7060 की दण्ड शुल्क के रूप में वसूली करनी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई तथा संविदाकार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया। अतः दण्ड शुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

19 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान की छात्र कल्याण निधि के खाते में से क्रय किए गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर भविष्य में भी वार्षिक सत्यापन करनी सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

21 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है। अतः लेखे असंतोषजनक पाए गए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(2)–415/1988,खण्ड–3–4834–4835, दिनांक 06.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.